संख्या-183/2016/आर-5143/26-3-2016-4(215)/90टी.सी. III

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः-07 अक्टूबर, 2016

विषयः- शैक्षिक सत्र-2016-17 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा-9 व 10) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-100/2016/आर-1339/26-3-2016-4(215)/90 टी.सी. III, दिनांक-30.04.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा-9 व 10) हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2803/स.क./शिक्षा-अ/2016-17,दिनांक-05.10.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9 व 10) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	पूर्व समयावधि कक्षा 9–10 हेतु	संशोधित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु
1	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत–प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना	1 जुलाई 2016 से 16 अगस्त 2016 तक।	01 जुलाई 2016 से 16 अगस्त 2016 तक।
2	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2016 तक	15 सितम्बर 2016 तक
3	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
4	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 सितम्बर, 2016 तक	——
5	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01जुलाई से 14 सितम्बर, 2016 तक	15 अक्टूबर 2016 तक
6	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9–10 हेतु) द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना	01 जुलाई से 17 सितम्बर 2016 तक	18 अक्टूबर 2016 तक
7	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना एवं PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	18 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2016 तक	19 अक्टूबर से तक 26 अक्टूबर 2016 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध	15 अक्टूबर, 2016 तक	15 नवम्बर 2016 तक

RAMESH--GO
PG--NO--1674

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

	डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना		
9	सन्देहास्पद डाटा को कारण सहित छात्र के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2016 तक	01 नवम्बर से 10 नवम्बर 2016 तक
10	ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 28 अक्टूबर 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक
11	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2016 तक	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक
12	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	01 नवम्बर से 10 नवम्बर 2016 तक	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	25 नवम्बर , 2016 तक	15 दिसम्बर, 2016 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना	30 नवम्बर 2016 तक	25 दिसम्बर 2016 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के खाता बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	10 दिसम्बर, 2016 तक	31 दिसम्बर, 2016 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये शैक्षिक सत्र 2016-17 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

पृ0सं0-183/2016/आर-5143(1)/26-3-2016 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षाविभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।